पत्रांक–03 / स्था0 / विविध / अं0अ0(कार्य)–23 / 2020– 131 (3) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

ई–मेल / फैक्स

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 31/3/21

विषय :– **राज्य सरकार में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र ज्ञापांक–1273, दिनांक–29.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सराकरी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अंचल अधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से मान्य किये गये है। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र ज्ञापांक–2402, दिनांक–22.02.2021 द्वारा इस आशय का निदेश संसूचित है कि **राजस्व अधिकारी द्वारा विवेचित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र दिनांक–01.04.2021 के प्रभाव से निर्गत किये जायेंगे तथा दिनांक–31.03.2021 तक प्रचलित व्यवस्था के तहत् अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पूर्णतः वैद्य एवं मान्य होंगे।**

वर्णित स्थिति में राज्य के जिन अंचल कार्यालयों में राजस्व अधिकारी का पद रिक्त है, वैसे अंचल कार्यालयों में विभाग द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी / प्रभारी अंचल अधिकारी अपने कार्यों के अतिरिक्त पूर्व की तरह उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

विश्वासभाजन,

31/3/21

(विवेक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–03 / स्था0 / विविध / अं0अ0(कार्य)–23 / 2020– 131 (3) / रा०, पटना–15, दिनांक– 31/3/21

ई–मेल / फैक्स

प्रतिलिपि :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।